

5
मानदेय

विषय सूची			
क्र०सं०	विषय सूची	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य मानदेय के आगणन के सम्बन्ध में।	सं0 122 / XXVII(7)27(3) / 2013 दिनांक : 02 नवम्बर, 2016	199—200
2	राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आगणन के सम्बन्ध में।	सं0 112 / XXVII(7)27(3) / 2013 दिनांक : 28 अगस्त, 2015	201
3	वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के सम्बन्ध में।	सं0 45 / XXVII(7)27(3) / 2013 दिनांक : 31 जनवरी, 2014	202
4	वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में देय धनराशि के आगणन के सम्बन्ध में।	सं0 43 / XXVII(7)27(3) / 2013 दिनांक : 31 जनवरी, 2014	203—204
5	वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में देय धनराशि के आगणन के सम्बन्ध में।	सं0 737 / XXVII(7)40(20) / 2013 दिनांक : 08 अक्टूबर, 2013	205—206

प्रेषक,

डी०एस०गव्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (व०आ०—सा०नि०) अनुभाग—७

देहरादून: दिनांक: ०२ अक्टूबर, 2016

विषय: राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य मानदेय के आगणन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जाने वाले मानदेय में एक माह के मूल वेतन के साथ 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राजकीय वाहन चालकों को उक्तानुसार अनुमन्य मानदेय में महंगाई भत्ते की दरों के आगणन के सम्बन्ध में कतिपय स्तरों से की जा रही पृच्छाओं के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मूल वेतन के साथ तत्समय प्रभावी दरों के अनुसार महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डी०एस० गव्याल)
सचिव।

संख्या— १२२ / XXVII(7)27(3) / 2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

202

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
3. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,


(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक 28 अगस्त 2015
मुसाई, 2015

विषय: राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय घनराशि के आंगण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 43/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 सपष्टित शासनादेश संख्या-45/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वर्ष में एक बार अनुमन्य किये जाने वाले मानदेय में सुसंगत माह में मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. संघ की मांग पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मानदेय में मूल वेतन के साथ स्वीकृत 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के स्थान पर 100 प्रतिशत मंहगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।
3. उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 112 (1)/XXVII(7)27(3)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑफीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त ऑफिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी०, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(व०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक ३। जनवरी, 2014


विषय: राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 43/xxvii(7)27(3)/2013 दिनांक ३। जनवरी, 2014 में त्रुटिवश 'उक्त के आधार पर तैनाती के सभी स्थानों यथा 'बी-२' श्रेणी, 'सी' श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र, जिला मुख्यालय एवं अवर्गीकृत क्षेत्र में वाहन चालकों को मानदेय के रूप में सुसंगत माह में वेतन के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन के सापेक्ष ग्रेड वेतन का ५० प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुए', का उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त के स्थान पर 'उक्त के आधार पर तैनाती के सभी स्थानों यथा 'बी-२' श्रेणी, 'सी' श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र, जिला मुख्यालय एवं अवर्गीकृत क्षेत्र में राजकीय वाहन चालकों को मानदेय के रूप में सुसंगत माह में मूल वेतन के साथ ५० प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमत्य होगा।

अतः उक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


राकेश शर्मा ४४
अपर मुख्य सचिव।

संख्या ५५ (१) /XXVII(7)27(3)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इस्ला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।


आज्ञा से,
(एल०एन०प०त्त)
अपर सचिव।

संख्या: ४३ /xxvii(7)27(3) / 2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक ³¹ जनवरी, 2014

विषय: वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 737/xxvii(7)40(20)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाहन चालकों के कार्य एवं दायित्व में जो दुरुहता-जोखिम-समयावधि की अनिश्चितता-प्रतिबद्धता है, उसके दृष्टिगत वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में पूर्व से देय धनराशि के साथ-साथ उन्हें सुसंगत माह में वेतन के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन के सापेक्ष, उनकी तैनाती स्थल के आधार पर 'बी-2' श्रेणी के ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत, 'सी' श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय ग्रेड वेतन का 60 प्रतिशत एवं अवर्गीकृत क्षेत्र में ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत की अनुमन्यता की गयी थी। संघ की मांग पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त के आधार पर तैनाती के सभी स्थानों यथा 'बी-2' श्रेणी, 'सी' श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र, जिला मुख्यालय एवं अवर्गीकृत क्षेत्र में वाहन चालकों को मानदेय के रूप में सुसंगत माह में वेतन के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन के सापेक्ष ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुए मानदेय के रूप में देय कुल धनराशि का आंगणन किये जाने और इसके अतिरिक्त धनराशि का लेखांकन अन्य भत्ते के रूप में अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।



(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

(24)

-2-

संख्या ५३ (1) / XXVII(7)27(3) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एल०एन०ष्ट०)
अपर सचिव।

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वै0आ0—सा0नि0)अनु0-7

देहरादून: दिनांक ०४ अक्टूबर, 2013

विषय: वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के जातियों के वेतनादि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि में सभी भत्तों का आंगणन किये जाने के संबंध में 20वें प्रतिवेदन में दी गई सरतुति के क्रम से वाहन चालकों के कार्य एवं दायित्व में जो दुरुहता—जोखिम—समयावधि की अनिश्चितता—प्रतिवद्धता है, उसके दृष्टिगत मानदेय की धनराशि में, उन्हें सुसंगत माह में वेतन के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन के सापेक्ष, उनकी तैनाती स्थल के आधार पर निम्नवत् अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुये मानदेय के रूप में देय कुल धनराशि का आगणन किये जाने और इसके अतिरिक्त धनराशि का लेखांकन अन्य भत्तों के रूप में किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष खालूति प्रदान करते हैं।

बी-2 श्रेणी	सी-श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय	अवर्गीकृत क्षेत्र
ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत	ग्रेड वेतन का 60 प्रतिशत	ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

(26)

-2-

संख्या २३८ (१) / XXVII(7)40(20)2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. रेजीडेन्ट कमिशनर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा रहे,


(एन०एन०सी०)
अपर सचिव।